न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 80/2016 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2016/00095

1. देवीलाल पुत्र श्री नन्दराम, जाति सुथार, निवासी राजपुरा तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।
2. सोहनलाल पुत्र श्री नन्दराम, जाति सुथार, निवासी राजपुरा तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।
3. जगदीश पुत्र श्री नन्दराम, जाति सुथार, निवासी राजपुरा तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र श्रीमती मिरघां पुत्री सहीराम, जाति मेघवाल, निवासी राजपूरा, तहसील पदमपूर, जिला श्रीगंगानगर।
2. सावित्री पुत्री पुत्री सहीराम, जाति मेघवाल, निवासी राजपूरा, तहसील पदमपूर, जिला श्रीगंगानगर।
3. रूकमा पुत्रीयां पुत्री सहीराम, जाति मेघवाल, निवासी राजपूरा, तहसील पदमपूर, जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पदमपुर।
6. सरपंच ग्राम पंचायत, राजपुरा (46 आर.बी.बी) पंचायत समिति, पदमपुर।
7. ग्राम पंचायत, राजपुरा (46 आर.बी.बी) जरिये सचिव ग्राम पंचायत।

उपस्थितः श्री बालकिशन शर्मा — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री महावीर प्रसाद शर्मा — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
श्री मदन सुरोलिया

निर्णय

दिनांक 16.11.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, पदमपुर के निर्णय दिनांक 03.05.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त कृषि भूमि चक 46 आर पी बी के मुरब्बा नम्बर 30 की 2.910 हैक्टेयर भूमि अपीलांटस के पिता नन्दराम ने रेस्पोन्डेट नं. 1 के नाना एवं 2 व 3 के पिता सहीराम के द्वारा जरिये पंजिबद्ध बैयनामा दिनांक 26.02.1960 को खरीद की एवं भूमि का कब्जा काश्त भौतिक रूप से प्राप्त कर लिया। अपीलांट के पिता नन्दराम की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान का लगातार कब्जा काश्त चला आ

संभागीय आयुक्त बीकानेर

रहा है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्टेट के द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 50/75, 433/83 प्रस्तुत किये, जिसे उपखण्ड अधिकारी के द्वारा दिनांक 07.01.1986 को निरस्त कर दिया। पुनः दावा संख्या 177/89 धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो उप जिला कलक्टर श्रीकरणपुर ने दिनांक 24.12.1999 निरस्त कर दिया। रेस्पोंडेन्ट नं. 1 ता 3 के द्वारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया था, जो कि दिनांक 27.01.2016 को निरस्त कर दिया गया। सहीराम ने अपने जीवनकाल मे अपीलांटस के पिता को विक्रय की गई भूमि के बाबत कभी कोई उज्र ऐतराज नही किया। सहीराम के स्वर्गवास होने के पश्चात उसके वारिसान रेस्पोंडेन्ट नं 1 ता 3 ने एक प्रार्थना–पत्र तहसील पदमपुर के समक्ष विरासतन इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना–पत्र पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट ली गई। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि अपीलांटस का 26.02.1960 से वादग्रस्त भूमि पर बैयनामा के बाद से कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये बिना तहसीलदार पदमपुर ने रिपोर्ट पटवारी की पुश्त पर दिनांक 18.01.2016 को विरास्तन इंतकाल दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार पदमपुर के विरास्तन इंतकाल के विरूद्ध अपील अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने निर्णय दिनांक 21.04.2016 द्वारा उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 42 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना मानकर अपील खारिज कर दी। अधिनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 21.04.2016 की पालना में ग्राम पंचायत राजपुरा के द्वारा इंतकाल संख्या 450 दिनांक 24.04.2016 को तस्दीक कर दिया। उक्त इंतकाल के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के यहां अपील प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(ख) का उल्लघंन मानकर उक्त अपील उसी स्तर पर खारिज कर दी। अतः अपील अपीलांट ग्राम पंचायत राजपुरा के इंतकाल संख्या 450 दिनांक 24.04.2016 एवं उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 03.05.2016 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री बालकिशन शर्मा ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि अपीलांटस के पिता नन्दराम ने रेस्पोन्डेट नं. 1 के नाना एवं 2 व 3 के पिता सहीराम के द्वारा जरिये पंजिबद्ध बैयनामा दिनांक 26.02.1960 को खरीद की एवं भूमि का कब्जा काश्त भौतिक रूप से प्राप्त कर लिया था। वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्टेट के द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी 1955 के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी के द्वारा दिनांक 07.01.1986 को निरस्त कर दिया। पुनः दावा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जो उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर ने दिनांक 24.12.1999 निरस्त कर दिया। रेस्पोंडेन्ट नं. 1 ता 3 के द्वारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया था, जो कि दिनांक 27.01.2016 को निरस्त कर दिया गया। खातेदार सहीराम का दिनांक 31.03.2001 को देहान्त हो चुका है सहीराम के स्वर्गवास होने के पश्चात उसके वारिसान रेस्पोंडेन्ट नं. 1 ता 3 ने प्रार्थना—पत्र तहसील पदमपुर के समक्ष विरासतन इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना—पत्र पर पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि अपीलांटस का 26.02.1960 से वादग्रस्त भूमि पर बैयनामा के बाद में कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये बिना तहसीलदार पदमपुर विरास्तन इंतकाल दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। धारा 42 का उल्लंघन के संबंध में तहसीलदार पदमपुर उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर में 03 प्रकरण पेश किये गए, तीनों प्रकरण तहसीलदार पदमपुर के खारिज हो चुके है। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 21.04.2016 की पालना में ग्रामपंचायत राजपुरा द्वारा दिनांक 24.04.2016 को अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये बिना क्षेत्राधिकार इंतकाल दर्ज कर दिया। उपखण्ड अधिकारी पदमपुर ने आदेश दिनांक 03.05.2016 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(ख) उल्लघंन मानकर अपील खारिज कर दी। अनु. जाति से गैर अनु. जाति को बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लघंन होना वर्ष 1964 में लागू किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी का निर्णय दिनांक 03.05.2016 निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय की रूलिंग आरआरडी 2009 पेज 149 एवं 2017(1) RRT 35 को अवलोकनीय बताया।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स श्री महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व दौराने बहस कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनकर तथ्यों का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया। चक 46 आर पी बी के मुरब्बा नम्बर 30 की 2.910 हैक्टेयर भूमि रेस्पोन्डेट नं. 1 के नाना एवं 2 व 3 के पिता सहीराम के नाम दर्ज थी जो मेघवाल जाति के हैं। अपीलाधीन भूमि का बेचान अनु. जाति से गैर अनु. जाति के मध्य हुआ है जो धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना हुआ है जो प्रारम्भ से शून्य है। इस कारण अपीलांट्स का कब्जा अतिक्रमी के रूप में माना जाएगा। अनु. जाति के सदस्य की भूमि का हस्तान्तरण स्वर्ण जाति के सदस्य को नही हो सकता है। प्रकरण में पूर्व में जो निर्णय हुए वे मियाद बाहर होने कारण खारिज किये गये है। मैरिट पर प्रकरण में निर्णय नहीं हुआ है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 9 के अन्तर्गत माननीय राजस्व मण्डल को समस्त राजस्व न्यायालयों एवं राजस्व अधिकारियों पर पूर्ण अधीक्षण एवं नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त है। अतः यदि कोई निर्णय राज्य नीति के विरूद्ध हैं, तो धारा 9 के अधीन हस्तक्षेप किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे। अभिभाषक रेस्पोडेंट्स अपने पक्ष में के समर्थन में रूलिंग आरआरडी 14.01.2016 पेज 23 को अवलोकनीय बताया।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अपीलाधीन भूमि का बेचान अनुसूचित जाति से गैर अनुसूचित जाति के मध्य हुआ है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के प्रावधानों की अवहेलना है। स्टेट की पॉलिसी में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अपीलांट्स के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है। 62 वर्ष पुराने प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करना उचित नहीं समझते है। पब्लिक पॉलीसी की रक्षा करना इस न्यायालय का दायित्व है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का निर्णय दिनांक 03.05.2016 उचित प्रतीत होता हैं अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर